उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
पिकप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर,
लखनऊ।

संख्या : 76 / 13 / चार(परीक्षा–2)आयोग / 2020 / 2021
लखनऊ : दिनाँक 26 मार्च, 2021

आवश्यक सूचना

एकबारगी पंजीकरण (One Time Registration - OTR)

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु एकबारगी पंजीकरण (One Time Registration - OTR) सुविधा प्रारम्भ की जा रही है। इस सुविधा के प्रारम्भ होने के उपरान्त अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित व आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिये आवेदन करने हेतु अपनी मूलभूत सूचनाओं एवं विवरण को बारम्बार भरे जाने एवं अपनी शैक्षिक योग्यता व अर्हता संबंधी अभिलेखों को बार–बार अपलोड किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस एकबारगी पंजीकरण (One Time Registration - OTR) सुविधा के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं –

- आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित पदों हेतु आयोजित की जाने वाली किसी भी प्रारम्भिक अथवा मुख्य प्रतियोगितात्मक परीक्षा में प्रतिभाग करने व उसके लिये आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम एकबारगी पंजीकरण (One Time Registration - OTR) किया जाना अनिवार्य होगा।
- एकबारगी पंजीकरण (One Time Registration - OTR) पूर्णतः निशुल्क होगा।
- एकबारगी पंजीकरण हो जाने के उपरान्त प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (Preliminary Eligibility Test - PET) सहित आयोग की किसी भी प्रारम्भिक अथवा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिये अभ्यर्थी को पुनः अपना विवरण भरने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिये आवेदक को मात्र आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा का चयन करते हुये परीक्षा हेतु निर्धारित फीस को ही जमा करना होगा। अभ्यर्थी का अन्य समस्त विवरण उसके द्वारा एकबारगी पंजीकरण में दिये गये विवरण के आधार पर स्वतः प्रदर्शित हो जायेगा।
- जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आयोग की किसी परीक्षा (2015 के उपरान्त) में आवेदन किया गया है तो उनके द्वारा तत्समय दिये गये रजिस्ट्रेशन नं0 के आधार पर भी एकबारगी पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण अथवा अपडेट किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में दी गयी सूचनाये व विवरण पंजीकरण फॉर्म में स्वप्रदर्शित हो जायेंगे व उक्त विवरण पुनः भरे जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाइट पर दिये गये ई–फार्म (e-form) के माध्यम से नये सिरे से भी अपना पूर्ण विवरण भरते हुये एकबारगी पंजीकरण किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी को अपनी शैक्षिक योग्यता व अर्हता संबंधी अभिलेख एकबारगी पंजीकरण के समय अपलोड करने होंगे। एक बार अभिलेखों को अपलोड कर दिये जाने व उनका विवरण पंजीकरण फार्म में भर दिये जाने के उपरान्त इन अभिलेखों को बार–बार अपलोड किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। शैक्षिक योग्यता, अर्हता अथवा अनुभव आदि के विवरणों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी द्वारा अपने

विवरण (Profile) को अपडेट (Update) किया जा सकता है व उनसे संबंधित नये अभिलेखों को अपलोड किया जा सकता है।

- अभ्यर्थी द्वारा एकबारगी पंजीकरण के समय विवरण भरते समय विशेष रूप से सावधानी बरता जाना व ई–फार्म को अंतिम रूप से सबमिट किये जाने से पूर्व भरे गये विवरण की भलीभांति जांच कर लिया जाना अत्यावश्यक है। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किये गये अभिलेखों को संरक्षित किये जाने हेतु अभ्यर्थी को ई–लॉकर आवंटित किया जायेगा तथा एक बार ई–लॉकर संख्या आवंटित हो जाने के उपरान्त अभ्यर्थी के मूलभूत विवरण अर्थात उसके नाम, माता व पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार कार्ड के अंतिम 6 अंक, मूल निवास का प्रदेश (Domicile State), व जाति को संशोधित नहीं किया जा सकेगा।
- अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किये गये अभिलेखों का सत्यापन उन्हें जारी करने वाली संस्था से डिजिटल माध्यम से अथवा अभिलेख सत्यापन के समय मैनुअली कराया जायेगा।

26.03.2021

सचिव।